टैक्स वसूली बढाएं नगर निकाय

संवाददाता पटना

नगर विकास विभाग ऐसा कानून बनाने जा रहा है, जिससे नगर निकायों को मोबाइल टावरों से हर वर्ष पांच करोड से अधिक की आमदनी होगी. होल्डिंग का भी नये सिरे से मूल्यांकन होगा, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके. देश में जहां प्रति व्यक्ति औसतन 480 रुपये टैक्स वसूला जाता है, वहीं बिहार में मात्र 56 रुपये. ऐसे में बिहार के किसी शहर में नागरिक सुविधाएं हैदराबाद या अहमदाबाद की तरह कैसे दी जा सकती हैं. ये बातें प्रधान सचिव शशिशेखर शर्मा ने शुक्रवार को एएन सिन्हा शोध संस्थान में महापौर, उपमहापौर, जिला पर्षद अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम कहीं.

तेज हों आर्थिक गतिविधियां

उन्होंने कहा कि टैक्स वसूलना निकायों का हक है. बिहार में होल्डिंग का आकलन ही वास्तविकता से 40 फीसदी कम किया जाता है और उसमें से 37 फीसदी से ही टैक्स की वसूली होती है. नगरों में आर्थिक गतिविधियां तेज करने पर विचार किया जाना चाहिए. शहर की 30 फीसदी आबादी 70 फीसदी आय पैदा करती है. उन्होंने कहा कि नगर निकायों में इंजीनियर, एकाउंटेंट, वित्त सलाहकार, सोशल मोबलाइजर व डाटा एकांउटेंट की बहाली के साथ ही पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर दिये जायेंगे.

संचिकाएं डिजिटल होंगी

निकायों की सभी संचिकाएं डिजिटलाइज की जायेंगी. इससे जनप्रतिनिधि हर तरह की सूचना आसानी से देख सकें. इसमें 1950 तक की सूचनाओं को डिजिटल रूप दिया जायेगा. पुराने कानून बदले जायेंगे.

आबादी का हो आकलन

निकायों को यह आकलन कराना चाहिए कि शहर की आबादी पांच वर्षों में कितनी बढी और अगले दस वर्षों में क्या होगी. इस पर विचार नहीं किया गया, तो शहर में नागरिक सुविधाएं होंगी, जब कि मलिन बस्तियों की संख्या में इजाफा होगा. यह संयोग है कि मुंबई की 54 फीसदी मलिन बस्तियों की तुलना में बिहार में महज 11 फीसदी ही है. मौके पर संस्थान के निदेशक प्रो वीएन दिवाकर, नयी दिल्ली से आये शहरी शासन के विशेषज्ञ डॉ गंगाधर झा व डॉ विनायक चौधरी ने भी विचार रखे.या कि